ज्ञापांक–1745/तक0/2021

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–23वीं जून 2021

सेवा में,

Sachchid Anand Dubey and Sitaram Dubey,
15C Aditya Bhavan Park Road, Road No-01,
Ashok Nagar, Ranchi.

विषयः– **मौजा–टिपुदाना, प्लाट नं0–639, खाता न0–124, वार्ड नं0–53, थाना–नामकुम, जिला–राँची में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, धुर्वा, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–100 दिनांक–22.06.2021 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित आवासीय भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले एक अदद ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन के मुख्य स्टेयरकेश लॉबियों में एक–एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. प्रस्तावित भवन के परिसर में 150MM डाया वाला एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा एवं यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रेण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवन के सतही तल को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. अग्निशमन कार्य हेतु भवन में एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमे 2850 Lpm क्षमता का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. भवन के उपर एक अदद टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय। जिसकी क्षमता 900 Lpm से कम न हो।
9. 180 Lpm क्षमता का एक जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
11. भवन में NBC मानक के अनुरूप Refuge area का निर्माण किया जाय।
12. भवन के सभी बालकोनी को पूर्णतः खुला रखने की व्यवस्था की जाय।
13. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।

14. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
15. भवन के सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
16. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
17. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
18. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक भवनों के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
19. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
20. भवन के बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 01-01 अदद सी0ओ0टू0 तथा 09 के0जी0 क्षमता के 01-01 अदद डी0सी0पी0 अग्निषमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेष लॉबी में हो।
22. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
23. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
24. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
25. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
26. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.06.23 13:32:36 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।